न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 14/2018 (223 आरटीए) बुधाराम बनाम ताराराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00119)

बुधाराम पुत्र श्री ढगलाराम जाति मेघवाल निवासी चिरढाणी, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

.... अपीलांट

बनाम

1 ताराराम पुत्र श्री घीसाराम जाति माली निवासी फाटक वाला बेरा पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर जरिए आम मुख्त्यार जगदीश पुत्र राजूराम जाति सांसी, निवासी जसपाली तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

2 शैतानराम पुत्र श्री रिदाराम जाति मेघवाल निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीपाड़ शहर।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर दिनांक 12.12.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 168/2013

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।

2 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवंत सुथार।

3 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 13.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व वाद सं. 168/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की ओर से राजस्व वाद सं. 168/2013 पेश किया कि कस्बा पीपाड़ शहर की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 1988 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 1989 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, किस्म बारानी द्वितीय कुल भूमि 19 बीघा 10

बिस्वा है जिसका लगान 9.16 रु. वार्षिक है। जिसके नया खाता संख्या 620 व पुराने खाता संख्या 430 है में 2/3 हिस्से कृषि भूमि में से 1/2 वां हिस्सा वादी के आम मुख्त्यारकर्ता जगदीश पुत्र राजूराम जाति सांसी उम्र 36 वर्ष निवासी जसपाली तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के नाम खातेदारी व कब्जाकाश्त सुदा भूमि आई हुई है। जिसके समर्थन में जमाबंदी संवत 2068 से 2071 की प्रति पेश की है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादी के आम मुख्त्यारकर्ता का 2/3 वां हिस्सा में से 1/2 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 वां हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 का कुल हिस्सा 1/3 बनता है तथा इसी अनुसार शामलाती के रूप में प्रतिसाल अदल बदल कर सभी सह खातेदार, अन्य खातेदार के साथ अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं। वाद पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में से वादी के आममुख्त्यारकर्ता का 2/3 वां हिस्से में से 1/2 वां हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/3 वां हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 2 का कुल आराजी में से 2/3 वां हिस्सा में से 1/2 वां हिस्सा का अलग खातेदार घोषित किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम कराए जाने का हुक्म प्रतिवादी संख्या 3 को किया जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा सादर फरमाई जावे कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी के आम मुख्त्यार कर्ता के हक व हिस्से की आराजी में किसी प्रकार का कब्जे काश्त में दखलंदाजी न स्वयं करने न किसी अन्य से करावे। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील ओमप्रकाश कच्छवाह ने व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकील हिम्मतराम गहलोत ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार फॉर्मल पक्षकार है। वकील प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जबाब प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त खसरान का पूर्व पुरूष के द्वारा आज से तीस वर्ष पूर्व मौके पर सभी खातेदारान का अलग-अलग हिस्सा आया हुआ है जिसमें मकानात व बाड़े बने हुए हैं। सभी सह खातेदार सामलाती काश्त नहीं करते हैं। वादग्रस्त भूमि पर माली जाति के लोगों का ही कब्जा काश्त वक्त सैटलमेंट से चला आ रहा है। वादी ताराराम माली जाति का सवर्ण कास्ट का व्यक्ति है जबकि इसी हिस्से का मूल खातेदार जगदीश सांसी अनुसूचित जाति का है एवं वादी ने अपने वाद में यह इस्तदुआ चाही है कि वादी को अलग से राजस्व रिकार्ड में खातेदार घोषित करावें जो विधि विरुद्ध होने से आदेश 7 नियम 11 के तहत उक्त वाद काबिले खारिज है क्योंकि अनुसूचित जाति की जमीन का खातेदार आममुख्त्यार के जरिए खातेदारी अधिनियम की धारा 42 के तहत भी वादी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता इसलिए वादी का वाद विधि विरुद्ध होने से चलने योग्य नहीं हैं। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा विधि द्वारा वर्जित होने से काबिले खारिज है अतः वाद खारिज करने

13/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने भी जबाबदावा पेश किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3, जगदीश पुत्र राजूराम का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी पर जगदीश पुत्र राजूराम, प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का अलग-अलग कब्जा काश्त है एवं अलग-अलग काश्त करते हैं। तथा मौके पर आने जाने हेतु भी रास्ता बना हुआ है। जगदीश पुत्र राजूराम के आम मुख्त्यार की हैसियत से ताराराम द्वारा उक्त वाद पेश किया है जो विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि बाबत कानूनन सवर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में आम मुख्त्यारनामा निष्पादित नहीं कर सकता है। वादग्रस्त आराजी में जगदीश पुत्र राजूराम का हिस्सा 1/3 है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है। मौके पर अलग-अलग काश्त करते हैं। कभी सामलात काश्त नहीं की है अतः वादी का वाद आधारहीन, मिथ्या बनावटी तथ्यों पर आधारित होने से एवं विधि द्वारा वर्जित होने से मय हर्जाखर्चा काबिज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण का जबाबदावा प्राप्त होने के पश्चात निम्न तनकीयात कायम की गई :-

- तनकी संख्या 1 :- आया वादी वादग्रस्त आराजी बाबत अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि बाबत माप व सीमांकन के आधार पर भू-विभाजन की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। ..... जिम्मे वादी
- तनकी संख्याा 2 :- आया वादी वादग्रस्त आराजी के 2/3 वे हिस्से में से 1/2 वां हिस्सा बाबत घोषणा, खातेदारी की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। ..... जिम्मे वादी
- तनकी संख्या 3 :- आया वादी अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि बाबत इसके कब्जे काश्त बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। ...... जिम्मे वादी।
- तनकी संख्या 4 :- आया वादी को वाद कारण विरुद्ध प्रतिवादीगण उत्पन्न नहीं होने से वादपत्र काबिले खारिज है। ...... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2
- तनकी संख्या 5 :- आया वादी भू-विभाजन की डिक्री कब्जे काश्त के अभाव में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। ...... जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2
- तनकी संख्या 6 :- आया वादी का वादपत्र विधि विरुद्ध होने से पोषणीय नहीं होने से काबिले खारिज है।...जिम्मे प्रतिवादी सं 1 व 2
- तनकी संख्या 7 :- अन्य दादरसी ..... न्यायालय के आदेशानुसार

इसके पश्चात वादी द्वारा साक्ष्य पेश किए गए, प्रतिवादीगण अपनी साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया। उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए वादग्रस्त भूमि का वादी श्री जगदीश पुत्र

13/8 राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर

राजूराम जाति सांसी को कुल भूमि के 1/3 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार, तथा प्रतिवादी संख्या 1 बुधाराम पुत्र श्री ढगलाराम जाति मेघवाल तथा 1/3 हिस्से का श्री शैतानराम पुत्र श्री रिदाराम जाति मेघावाल को रिकार्डेड खातेदार मानते हुए व उनको अपने हिस्से का बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी मानकर वादी का वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन डिक्री व निर्णय पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। वादी ने जिस रूप में दावा पेश किया वह दावा पोषणीय ही नहीं था परंतु अदालत मातहत ने इस बिंदु को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए फैसला कर दिया। अदालत मातहत ने तनकीयात विधिवत कायम ही नहीं की कि पक्षकारान की प्लीडिंग के अनुसार वाद बिंदु कायम किए जाने जरूरी थे जो कायम नहीं किए। एस.सी./एस.टी. के खातेदार की भूमि पर सवर्ण व्यक्ति के नाम मुख्त्यारनामा निष्पादित नहीं किया जा सकता इस संबंध में तनकीयात भी कायम नहीं की है। अदालत मातहत ने वाद बिंदु संख्या 1 से तीन वादी के पक्ष में निर्णित करने में भारी भूल की है उपरोक्त वाद बिंदुओं को वादी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा जबानी शहादत से कतई साबित नहीं कर सका था। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध सहादत एवं राजस्व रिकार्ड का बिल्कुल गलत अर्थ निकाला है। अदालत मातहत ने वाद बिंदु संख्या 4 से 6 को प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है। प्रतिवादी ने इन वाद बिंदुओं को दस्तावेजी एवं जबानी शहादत से बखूबी साबित कर दिया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णय देते हुए इन वाद बिंदुओ को प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित कर दिया। विवादग्रस्त कृषि जोत का विभाजन हो चुका है एवं पक्षकारान अलग–अलग काबिज हैं इस कारण विभाजन का कोई दावा चलने योग्य नहीं हैं। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2010(2) आर.आर.टी. 884 (सुप्रीम कोर्ट) पेश किया व कथन किया कि एससी./एसटी की जमीन पर मुख्त्यारनामा सवर्ण व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकता तथा अनुसूचित जाति की जमीन का खातेदार आममुख्त्यार के जरिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता इसलिए वादी का वाद विधि विरुद्ध होने से चलने योग्य नहीं हैं। अतः अपील स्वीकार कर

अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवंत सुथार ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए तनकीयात कायम कर व साक्ष्य के उपरांत विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपीलांट ने भी स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया है कि निर्णय में क्या त्रुटि है। एस.सी./एस.टी. की भूमि के संबंध में जरिए मुख्त्यारआम दावा किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसके कारण बंटवारा आवश्यक है। पूर्व में कोई बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है। जो आपत्ति अपीलीय न्यायालय में अपीलांट ने की है उस आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय में लेकर नहीं आए हैं अतः अपील के स्तर पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। अपीलांट के अधिवक्ता ने जो नजीर पेश की है उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं हैं कि एस.सी./एस.टी. के खातेदार की भूमि पर सवर्ण व्यक्ति के नाम मुख्त्यारनामा निष्पादित नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अपीलांट अधिवक्ता ने अपील एवं बहस में मुख्य दो आपत्तियां की हैं। पहली आपत्ति यह है कि वादग्रस्त भूमि में वादी मुख्त्यारआम है जबकि भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी की है। अनुसूचित जाति की भूमि पर सवर्ण व्यक्ति मुख्त्यारआम नहीं हो सकता है क्योकि यह धारा 42 से प्रतिबंधित है। दूसरा यह है कि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व में हो चुका है अतः बंटवारे का दावा चलने योग्य नहीं हैं। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता का उक्त दोनों आपत्तियों के संबंध में यह तर्क है कि ये आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गईं हैं अतः अपीलीय न्यायालय में यह आपत्तियां नहीं उठाई जा सकती।

9 उक्त बिंदुओं के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने जवाब दावे में इस तथ्य को अंकित किया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि बाबत कानूनन सवर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में आममुख्त्यारनामा निष्पादित नहीं किया जा सकता है तथा कथित आम मुख्त्यानामा विधि विरुद्ध है। इसलिए प्रस्तुत

वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण एवं धारा 42 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल खारिज फरमाने योग्य है।
उक्त जबाबदावा पेश होने पर प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रकरण में इसी बिंदु पर आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो उभयपक्षकारान को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.01.2016 को खारिज कर दिया। जिसकी अपील होना भी पत्रावली से ज्ञात नहीं होता है। अतः रेस्पों. का यह कथन गलत पाया जाता है कि यह आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई। बल्कि इस बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 2 की ओर से पेश किया गया जिस पर सभी पक्षकारान को सुना जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः जब यह बिंदु अधीनस्थ न्यायालय में तय हो चुका है तथा इसे किसी पक्षकार ने अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी है। अतः इस बिंदु को इस न्यायालय के समक्ष पुनः उठाने का कोई औचित्य नहीं हैं। तथा इस बिंदु पर पृथक से तनकी बनाए जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी न्याय हित में इस बिंदु का विवचेन पुनः किया जाय तो अपीलांट का तर्क है कि अनुसूचित जाति की भूमि पर सवर्ण व्यक्ति मुख्त्यारआम नहीं हो सकता है क्योकि यह धारा 42 से प्रतिबंधित है। इस संबंध में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है :-

42. विक्रय, दान तथा वसीयत पर सामान्य प्रतिबंध – खातेदार आसामी द्वारा अपने संपूर्ण भूमि क्षेत्र में या उसके भाग में अपने हित की बिक्री दान (गिफ्ट) या वसीयत शून्य होगा यदि

(ख) उक्त विक्रय, दान या वसीयत अनुसूचित जाति के किसी सदस्य ऐसे व्यक्ति के पक्ष में की गई हो जो अनुसूचित जाति का नहीं हो।

उपरोक्त धारा 42 के प्रावधान से स्पष्ट है कि इस श्रेणी में मुख्त्यारनामा शामिल नहीं हैं अतः अपीलांट का यह तर्क कि अनुसूचित जाति की भूमि पर सवर्ण व्यक्ति मुख्त्यारआम नहीं हो सकता है क्योकि यह धारा 42 से प्रतिबंधित है, अधिनियम के प्रावधानों में नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलांट के अधिवक्ता ने इस संबंध में जो न्यायिक दृष्टांत 2010(2) आर. आर.टी. 884 (सुप्रीम कोर्ट) पेश किया है उसमें धारा 42 का कोई उल्लेख नहीं है तथा प्रस्तुत नजीर के तथ्य शहरी फलैट से संबंधित है जबकि यह कृषि भूमि का प्रकरण है अतः नजीर व प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

दूसरा बिंदु यह है कि बंटवारा पूर्व में हो चुका है परंतु अपीलांट ने इस संबंध में कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी से स्पष्ट है कि भूमि संयुक्त खातेदारी की

13/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है जिसमें वादी सहखातेदार दर्ज है। अतः यह आपत्ति भी स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में जो निर्णय पारित किया है उसमें तनकीयात कायम की जाकर व तनकी वाईज विश्लेषण किया है। तनकी वाईज विश्लेषण विवेचन व विनिश्चय किया गया है। जिनको पुनः दोहराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तनकीयात के विवेचन उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने दावे का निष्कर्षात्मक विवचेन इस प्रकार दिया है "ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की सीमा में स्थित खसरा नं. 1988 व 1989 कुल खसरा दो कुल रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी जगदीश पुत्र राजूराम जाति सांसी कुल भूमि के 1/3 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है तथा 1/3 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 श्री बुधाराम पुत्र श्री ढगलाराम जाति मेघवाल तथा 1/3 हिस्से का श्री शैतानराम पुत्र श्री रिदाराम जाति मेघवाल खातेदार है। वादग्रस्त आराजीयात का वादी रिकार्डेड सहखातेदार होने से व अपने हिस्से का बंटवारा करवाने का अधिकारी है तथा अलग से राजस्व रिकार्ड में खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।"

उक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में यह न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2017 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिकी बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00119)

अपील संख्या 14/2018

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.बुधाराम पुत्र श्री ढगलाराम जाति मेघवाल निवासी चिरढाणी,तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।	बनाम	1.ताराराम पुत्र श्री घीसाराम जाति माली निवासी फाटक वाला बेरा पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर,जिला जोधपुर जरिए आम मुख्यार जगदीश पुत्र राजूराम जाति सांसी जसपाली तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। 2.शैतानराम पुत्र श्री रिदाराम जाति मेघवाल निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर। 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीपाड शहर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिकी सहायक कलेक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी,पीपाड़ शहर दिनांक 12/12/2017 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 168/2013

यह अपील बतारीख 13/8/2018 बहाजरी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवंत सुथार एवं रेस्पोडेंट 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,बावडी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 12/12/2017 यथावत रखे जाते है ।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 13/8/2018 को जारी हो किया गया।

13/8/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

13/8/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर